(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2843–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–7–16 पारित द्वारा तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/2014–15.

श्रीमती रमाबाई पत्नी गोवर्धन सिंहल
निवासी ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

राधेश्याम पुत्र नत्थू राजपूत
निवासी ग्राम खमगांव
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....अनावेदक

श्री ए.के. सिंघल, अभिभाषक, आवेदिका
श्री ओ.पी. शकरगाये, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/4/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार खिरकिया जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे क्रमांक 350 रकबा 0.733 हेक्टेयर पर आवेदिका का कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण

कमांक 2/अ–70/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान दिनांक 19–7–16 की पेशी पर आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण आवेदिका का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर देने से वह तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख पायेगी, और पक्ष समर्थन के अभाव में उसके विरूद्ध घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही होने कीं सभावना है ।

उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदिका को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका येन–केन–प्रकारेण प्रकरण को लम्बित रखना चाहती है, इसी कारण यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, क्योंकि अनावेदक की भूमि पर आवेदिका का अवैध कब्जा है, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती है ।

(2) आवेदिका को तहसील न्यायालय द्वारा अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, और दिनांक 19–7–16 को भी आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

(3) आवेदिका की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि उनके अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय में व्यस्त थे, किन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा

आवेदिका का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है, जबकि न्यायहित में तहसीलदार को प्रतिपरीक्षण का अंतिम अवसर आवेदिका को दिया जाना आवश्यक है । अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदिका को प्रतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध कराते हुये प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर